प्रारंभिक परीक्षा

सिलिका खनन(Silica Mining)

संदर्भ

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को सिलिका रेत खनन और सिलिका वाशिंग संयंत्रों के लिए विस्तृत अखिल भारतीय दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश दिया है।

सिलिका के बारे में -

- **सिलिका या सिलिकॉन डाइऑक्साइड (SiO_2), क्वार्ट्ज, रेत और अन्य चट्टानों में पाया जाने वाला एक प्राकृतिक खनिज है।**
- सिलिकॉन (27.7%) और ऑक्सीजन (46.6%) पृथ्वी की पर्पटी के दो सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्व हैं और साथ मिलकर वे सिलिका बनाते हैं।
- **प्रकार**:
    - **क्रिस्टलीय सिलिका**: क्वार्ट्ज में पाया जाता है; उद्योगों में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है।
    - **आकाररहित (Amorphous) सिलिका:** ज्वालामुखीय चट्टानों और कुछ सिंथेटिक रूपों में पाया जाता है।
- **अनुप्रयोग:**
    - निर्माण (सीमेंट, कांच, चीनी मिट्टी की चीज़ें)।
    - इलेक्ट्रॉनिक्स (सेमीकंडक्टर, ऑप्टिकल फाइबर)।
    - नवीकरणीय ऊर्जा (सौर पैनल)।
    - रसायन (सिलिकॉन, सिलिका जैल)।

तथ्य

- **भारत में सबसे अधिक भंडार**: (1) हरियाणा (2) राजस्थान (3) तमिलनाडु
- **विश्व भर में प्रमुख उत्पादक:** (1) चीन (2) रूस (3) ब्राज़ील

सिलिकोसिस के बारे में -

- **यह फेफड़ों की एक बीमारी है जो महीन क्रिस्टलीय सिलिका धूल के साँस द्वारा अंदर जाने के कारण होती है।**
- सिलिकोसिस एक प्रगतिशील बीमारी है जिसका **कोई इलाज नहीं है**, लेकिन इसे प्रबंधित करने के लिए उपचार और रणनीतियाँ मौजूद हैं।
- निर्माण, खनन, तेल और गैस निष्कर्षण, किचन इंजीनियरिंग, दंत चिकित्सा, मिट्टी के बर्तन आदि जैसे उद्योगों में काम करने वाले लोग प्रतिदिन सिलिका के संपर्क में आते हैं।
- **प्रमुख लक्षण**: लगातार खांसी, सांस लेने में नियमित परेशानी, कमजोरी और थकान।

यूपीएससी विगत वर्षों के प्रश्न

प्रश्न. भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: (2018)

1. फोटोवोल्टिक इकाइयों में इस्तेमाल होने वाले सिलिकॉन वेफर्स के निर्माण में भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा देश है।
2. सौर ऊर्जा शुल्क का निर्धारण भारतीय सौर ऊर्जा निगम के द्वारा किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: D

स्रोत:

- [द हिंदू - सिलिका खनन: एनजीटी ने सीपीसीबी से अखिल भारतीय दिशा-निर्देश तैयार करने को कहा]

गगनयान मिशन

संदर्भ

Axiom-4 मिशन का हिस्सा बनने वाले 2 गगनयात्रियों ने प्रशिक्षण का प्रारंभिक चरण पूरा कर लिया है।

गगनयान मिशन के बारे में -

- **यह भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है।**
- **मिशन के उद्देश्य**:
  - **तीन अंतरिक्ष यात्रियों** के दल को **तीन दिनों** के लिए पृथ्वी की कक्षा में भेजना तथा फिर उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना।
  - पृथ्वी की निचली कक्षा **(LEO)** तक मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन संचालित करने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन करना।
- **कार्यक्रम में 3 उड़ानें शामिल हैं:**
  - **पहली मानवरहित उड़ान:** यह सुरक्षा तंत्र का परीक्षण करेगी और गगनयान मिशन के क्रू एस्केप सिस्टम के प्रदर्शन को प्रदर्शित करेगी।
  - **दूसरी मानवरहित उड़ान:** इस उड़ान में **व्योम मित्र** नामक मानवरूपी रोबोट को ले जाया जाएगा, जो जमीनी नियंत्रकों से बात कर सकता है और उपकरण पैनल पढ़ सकता है।
  - **पहली चालक दल वाली उड़ान**: इसमें तीन अंतरिक्ष यात्रियों का दल होगा जो LEO में 3 दिन बिताएंगे। मिशन का समापन हिंद महासागर में नियंत्रित लैंडिंग के साथ होगा|

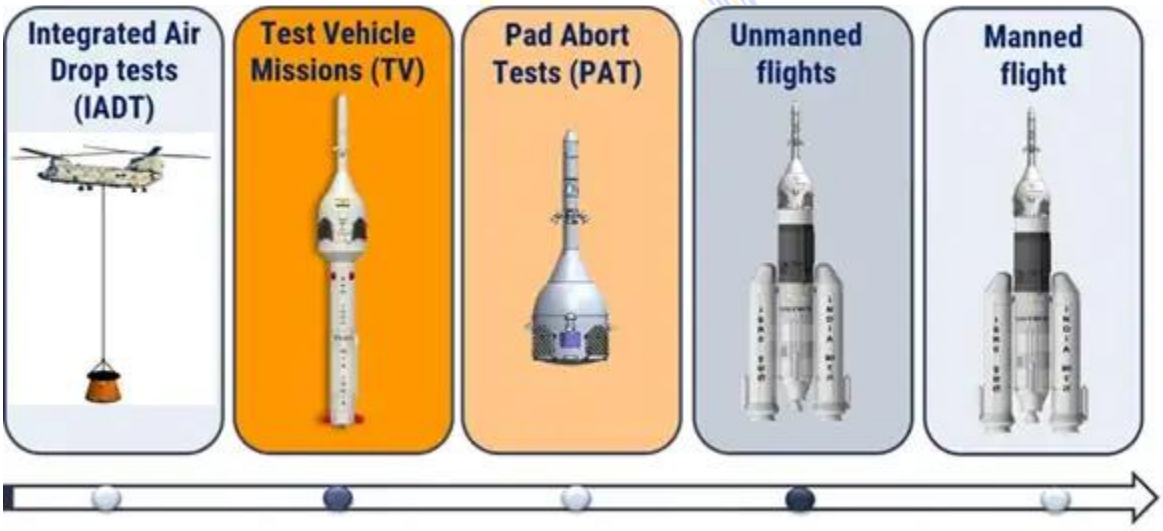

- **प्रक्षेपण यान: LVM 3**
  - यह एक तीन चरण वाला रॉकेट है जिसमें एक ठोस चरण, तरल चरण और क्रायोजेनिक चरण है।
  - इसमें क्रू एस्केप सिस्टम (CES) और ऑर्बिटल मॉड्यूल भी शामिल है।

Axiom 4 मिशन के बारे में -

- **यह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए चौथा निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन है।**
- **मिशन की अवधि:** 14 दिन।
- **प्रक्षेपण स्थल**: फ्लोरिडा में कैनेडी स्पेस सेंटर
- **प्रक्षेपण यान:** स्पेसएक्स का फाल्कन-9 रॉकेट।
- यह मिशन नासा के सहयोग से आयोजित किया गया है।

तथ्य

- **सफल प्रक्षेपण के बाद भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन शुरू करने वाला विश्व का चौथा देश बन जाएगा।**

स्रोत:

- **द हिंदू - इसरो ने कहा, गगनयात्रियों ने प्रारंभिक प्रशिक्षण पूरा कर लिया है**
- **अधिक जानकारी के लिए देखें: स्टडी आईक्यू**

वैज्ञानिकों तथा उद्योग जगत ने नये बीज विधेयक को पारित करने की मांग की

संदर्भ

राष्ट्रीय बीज कांग्रेस (NSC) के दूसरे दिन विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों और उद्योग प्रतिनिधियों ने सरकार से 2004 के बीज विधेयक और 2002 की बीज नीति को आधुनिक बनाने का आग्रह किया।

13वें राष्ट्रीय बीज कांग्रेस के बारे में -

- **यह जलवायु परिवर्तन और विभिन्न फसलों में बढ़ती बीमारियों के मद्देनजर परिवर्तनकारी समाधान की तलाश करने वाले नीति निर्माताओं, वैज्ञानिकों और किसानों का 3 दिवसीय कॉन्क्लेव है।**
- **कॉन्क्लेव के आयोजक**: केंद्रीय कृषि मंत्रालय, उत्तर प्रदेश कृषि मंत्रालय, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र तथा भारतीय बीज उद्योग महासंघ।
- **अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (IRRI):** यह एक गैर-लाभकारी संगठन है जो चावल पर शोध और प्रशिक्षण आयोजित करता है ताकि उन समुदायों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके जो जीविका के लिए चावल पर निर्भर हैं। (**1960 में स्थापित**, **मुख्यालय - मनीला**, **फिलीपींस**)
- बीज उद्योग ने निजी क्षेत्र द्वारा पेश किए गए हाइब्रिड बीजों के अनुसंधान और विकास और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए **"एक राष्ट्र, एक लाइसेंस"** की मांग की है।

बीज क्षेत्र में चुनौतियाँ

- **पुराने कानून और नीतियां**:
  - बीज अधिनियम (1966) जैसे मौजूदा कानून आधुनिक कृषि आवश्यकताओं के लिए प्रासंगिक नहीं हैं।
  - **2004 में संसद में** एक नया विधेयक पेश किया गया था, लेकिन **किसानों के विरोध** के कारण इसे पारित नहीं किया जा सका।
  - वर्तमान में, हम **2002 की राष्ट्रीय बीज नीति** का पालन कर रहे हैं, जिसे बीज उद्योग की उभरती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपडेट करने की आवश्यकता है।
- **निम्न गुणवत्ता आश्वासन**:
  - भारत के बीज मानक अंतर्राष्ट्रीय स्तर से पीछे हैं, जिससे वैश्विक बाज़ारों में प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित होती है।
- **उच्च लागत**:
  - कई **लघु और सीमांत किसानों** के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीज आर्थिक रूप से पहुँच से बाहर हैं।
  - इससे उनकी बेहतर फसल किस्मों और प्रौद्योगिकियों तक पहुँच सीमित हो जाती है।
- **जागरूकता का अभाव**:
  - बहुत से किसान प्रमाणित बीजों या उन्नत किस्मों के उपयोग के लाभों से अनभिज्ञ हैं। इसके परिणामस्वरूप वे पारंपरिक या निम्न गुणवत्ता वाले बीजों पर ही निर्भर रहते हैं।

आगे की राह

- **नीतिगत सुधार:**
  - तकनीकी प्रगति को दर्शाने और किसानों की चिंताओं को दूर करने के लिए, बीज कानूनों का आधुनिकीकरण करना।
  - स्पष्टता एवं अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, किसान द्वारा संरक्षित बीजों और वाणिज्यिक बीजों के मध्य स्पष्ट अंतर परिभाषित करना।
- **गुणवत्ता आश्वासन प्रणालियों को सुदृढ़ बनाना:**
  - अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए बीज परीक्षण एवं प्रमाणन अवसंरचना में वृद्धि करना।

- **अनुसंधान और विकास में निवेश:**
  - जलवायु-लचीले और उच्च उपज देने वाली बीज किस्मों को विकसित करने के लिए, अनुसंधान एवं विकास हेतु वित्त पोषण में वृद्धि करना।
  - कीट प्रतिरोध और पोषण संबंधी चुनौतियों का समाधान करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी प्रगति के उपयोग को प्रोत्साहित करना।
- **सार्वजनिक-निजी सहयोग को बढ़ावा देना:**
  - नवाचार और बाजार पहुंच में अपनी-अपनी शक्ति का लाभ प्राप्त करनें के लिए, सार्वजनिक अनुसंधान संस्थानों एवं निजी कंपनियों के बीच साझेदारी को प्रोत्साहित करना।
- **किसानों के लिए क्षमता निर्माण:**
  - व्यापक विस्तार सेवाओं के माध्यम से किसानों को आधुनिक बीज प्रौद्योगिकियों, गुणवत्ता मानकों और कुशल उपयोग प्रथाओं के संदर्भ में शिक्षित करना।
  - किसानों को बीज क्षेत्र में सरकारी नीतियों, योजनाओं और सब्सिडी के बारे में जानकारी देने के लिए, जागरूकता अभियान को बढ़ावा देना।

स्रोत:

- **द हिंदू - वैज्ञानिक, उद्योग जगत ने नए बीज विधेयक पारित करने की मांग की**

स्वच्छ पौधा कार्यक्रम(Clean Plant Programme)

संदर्भ

भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक(ADB) ने स्वच्छ पौधा कार्यक्रम के अंतर्गत बागवानी किसानों की प्रमाणित रोग-मुक्त रोपण सामग्री तक पहुंच में सुधार लाने के लिए 98 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए।

स्वच्छ पौधा कार्यक्रम(CPP) के बारे में -

- **CPP के तीन घटक होंगे**: स्वच्छ पौधा केंद्र, प्रमाणन एवं कानूनी ढांचा तथा उन्नत बुनियादी ढांचा।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड
- **विशेषताएँ:**
    - **CPP** वायरस-मुक्त**,** उच्च गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री तक पहुंच प्रदान करेगा**,** जिससे फसल की पैदावार में वृद्धि होगी और आय के अवसरों में सुधार होगा।
    - नर्सरियों को सुव्यवस्थित प्रमाणन प्रक्रियाएं और बुनियादी ढांचे का समर्थन।
    - योजना और कार्यान्वयन में महिला किसानों की सक्रिय भागीदारी, संसाधनों, प्रशिक्षण और निर्णय लेने के अवसरों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करना।

एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) -

- **यह बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए एक केन्द्र प्रायोजित योजना है, जिसमें फल, सब्जियां, जड़ और कंद फसलें, मशरूम, मसाले, फूल, सुगंधित पौधे, नारियल, काजू, कोको और बांस शामिल हैं।**
- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय 2014-15 से MIDH को क्रियान्वित कर रहा है।
- MIDH को हरित क्रांति - किसानोन्नति योजना के तहत लागू किया गया है।

स्रोत:

- द हिंदू - भारत सरकार और एडीबी ने भारत के बागवानी में पौधा स्वास्थ्य प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए 98 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए

समाचार संक्षेप में

संभल मस्जिद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- **इसका निर्माण मुगल सम्राट बाबर के शासनकाल (1526-1530) के दौरान उसके सेनापति मीर हिंदू बेग द्वारा किया गया था।**
- यह बाबर के शासनकाल के दौरान निर्मित तीन मस्जिदों में से एक है: अन्य दो (पानीपत और बाबरी मस्जिद)।
- **हिंदू मान्यताएं: स्थानीय परंपरा के अनुसार मस्जिद में विष्णु मंदिर के अवशेष हैं, ऐसा माना जाता है कि यह भगवान विष्णु के दसवें अवतार कल्कि** के आगमन का स्थान है।

स्रोत:

- इंडियन एक्सप्रेस-संभल की जामा मस्जिद

अजमेर शरीफ दरगाह की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- **राजस्थान के अजमेर में स्थित सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती का अंतिम विश्राम स्थल है।**
- **मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में:**
  - मोइनुद्दीन चिश्ती 13वीं सदी के सूफी संत और दार्शनिक थे।
  - उनका जन्म 1141 ई. में सिस्तान (आधुनिक ईरान/अफगानिस्तान क्षेत्र) में हुआ था।
  - **वह सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल (1236) के दौरान दिल्ली पहुंचे।**
- **दरगाह का निर्माण:**
  - **मूल निर्माण**: 15वीं शताब्दी के प्रारंभ में मालवा सल्तनत के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित।
  - **मुगल संरक्षण**:
    - **अकबर**: दरगाह की वार्षिक तीर्थयात्रा करते थे।
    - **शाहजहाँ:** 1637 में सफेद संगमरमर की मस्जिद (शाहजहाँ की मस्जिद) का निर्माण कराया गया।

स्रोत:

- द हिन्दू - अजमेर तीर्थ सर्वेक्षण

राज्यसभा का नियम-267

- **यह नियम किसी सदस्य को तत्काल सार्वजनिक महत्व के मामले पर चर्चा करने के लिए दिन के सूचीबद्ध व्यवसाय के निलंबन का अनुरोध करने की अनुमति देता है।**
- कोई सदस्य नियम-267 के अंतर्गत राज्यसभा के सभापति को नोटिस प्रस्तुत करता है। यदि सभापति (विवेक से) स्वीकृति दे देते हैं, तो सामान्य कार्य स्थगित हो जाता है, तथा तत्काल मामले पर चर्चा की जाती है।
- **पिछली बार इसे नवंबर 2016 में स्वीकार किया गया था, जब उच्च सदन ने विमुद्रीकरण(demonetisation) पर चर्चा के लिए नियम 267 का प्रयोग किया था।**
- **लोकसभा में भी ऐसा ही नियम**
  - **नियम 184:** अविलम्बनीय सार्वजनिक महत्व के मामले पर बहस की अनुमति देता है, जिसके अंत में मतदान का प्रावधान है।

- **नियम 193:** इसके अंतर्गत भी अत्यावश्यक मामलों पर चर्चा की अनुमति है, लेकिन मतदान के बिना।

स्रोत:

- **पीआईबी - नियम 267 को व्यवधान पैदा करने के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है: आरएस चेयरमैन**

संपादकीय सारांश

भारत को गर्भनिरोधक जिम्मेदारी साझा करने की आवश्यकता है

संदर्भ

1952 में, भारत ने विश्व का प्रथम राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया, जिसमें पिछले कई दशकों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। प्रारंभ में इसका उद्देश्य मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार करना था, किन्तु अब इसका ध्यान जनसंख्या को स्थिर करने पर केंद्रित हो गया है।

भारत में परिवार नियोजन का विकास -

- यह कार्यक्रम राष्ट्रीय आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप जन्म दर को कम करने तथा जनसंख्या वृद्धि को स्थिर करने के लिए प्रारंभ किया गया था।
  - समय के साथ, इसमें प्रजनन स्वास्थ्य को शामिल करने तथा मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए विस्तार किया गया।
- **1966 में, परिवार नियोजन का एक पृथक विभाग स्थापित किया गया था।**
- 1977 में, सरकार द्वारा एक नई जनसंख्या नीति को अपनाने के बाद, भारत के परिवार नियोजन विभाग का नाम परिवर्तित कर परिवार कल्याण विभाग कर दिया गया, जिसमें परिवार नियोजन में स्वैच्छिक भागीदारी पर बल दिया गया था।
- **राष्ट्रीय जनसंख्या नीति (NPP) 2000 की स्थापना भारत सरकार द्वारा 15 फरवरी, 2000 को तेजी से जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक व्यापक ढांचे के रूप में की गई थी।** इस नीति का लक्ष्य जिम्मेदार परिवार नियोजन एवं प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से, सतत विकास को सुनिश्चित करना है।

तथ्य

- 1966 और 1970 के मध्य, नसबंदी प्रक्रियाओं में लगभग 80.5% पुरुष नसबंदी प्रक्रियाओं का योगदान था।
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) के अनुसार, पुरुष नसबंदी के उपयोग में कमी आई है तथा NFHS-4 (2015-16) और NFHS-5 में यह दर लगभग 0.3% पर स्थिर रही है।

जागरूकता पहल

- **विश्व पुरुष नसबंदी दिवस, प्रतिवर्ष नवंबर के तीसरे शुक्रवार (2024 में 15 नवंबर) को मनाया जाता है।**
- 2017 में, भारत ने जागरूकता बढ़ाने, गलत धारणाओं को दूर करने तथा पुरुष नसबंदी को बढ़ावा देने के लिए, 'पुरुष नसबंदी पखवाड़ा' मनाया।
- **मिशन परिवार विकास: 2016** में प्रारंभ किए गए मिशन परिवार विकास (**MPV**) का उद्देश्य, **7** राज्यों (बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और असम) के **146** उच्च प्रजनन क्षमता वाले जिलों में, गर्भनिरोधक एवं परिवार नियोजन सेवाओं तक पहुँच में सुधार करना है।
  - **इसकी प्रमुख पहलों में शामिल हैं:**
    - **सारथी वाहन:** मोबाइल जागरूकता अभियान।
    - **सास बहू सम्मेलन:** युवा महिलाओं के लिए सामाजिक बाधाओं का समाधान।
    - **नई पहल किट:** नवविवाहितों को परिवार नियोजन और जिम्मेदार माता-पिता बनने के बारे में जागरूक करना।
  - एक मजबूत लॉजिस्टिक्स प्रणाली ने गर्भनिरोधकों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की, जिसके परिणामस्वरूप आधुनिक गर्भनिरोधकों की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

- इस सफलता ने सरकार को 2021 में इन राज्यों तथा छह पूर्वोत्तर राज्यों के सभी जिलों में, मिशन परिवार विकास (MPV) को बढ़ाने के लिए प्रेरित किया।

जमीनी वास्तविकता और चुनौतियां

- **सर्वेक्षण के निष्कर्ष (छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र, मार्च 2024):**
  - महिलाएं नसबंदी को अपनी जिम्मेदारी मानती हैं और उनका मानना है कि, पुरुषों पर इसका "भार" नहीं डाला जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रक्रिया के लिए पुरुषों के कार्यभार तथा एक दिन की मजदूरी जब्त होने के कारण, वित्तीय हानि होती है।
  - पुरुष नसबंदी के लिए सरकार द्वारा प्रदत्त नकद प्रोत्साहनों के संदर्भ में, जागरूकता का आभाव है।
- **पुरुष नसबंदी अपनाने में बाधाएँ:**
  - निरक्षरता, पुरुष अहंकार, गलत धारणाएं (उदाहरण के लिए- कामेच्छा पर इसका प्रभाव) और पारिवारिक विरोध।
  - प्रशिक्षित प्रदाताओं की कमी एवं सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के मध्य नो-स्केलपेल नसबंदी के संदर्भ में सीमित ज्ञान।

अनुशंसाएँ और समाधान

- **प्रारंभिक संवेदनशीलता और जागरूकता निर्माण:** स्कूलों में किशोरावस्था के दौरान जागरूकता कार्यक्रम और सहकर्मी चर्चाएँ प्रारम्भ करना।
  - मिथकों को दूर करने और पुरुष नसबंदी को कलंक मुक्त करने के लिए, सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संचार (**SBCC**) अभियान चलाना।
- **प्रोत्साहन में वृद्धि:** पुरुष भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए, पुरुष नसबंदी हेतु सशर्त नकद प्रोत्साहन में वृद्धि करना।
  - **उदाहरण:**
    - **महाराष्ट्र (2019):** ग्रामीण जनजातीय क्षेत्रों में पुरुषों ने प्रोत्साहनों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी।
    - **मध्य प्रदेश (2022):** पुरुष नसबंदी प्रोत्साहन में **50%** की वृद्धि।
- **अंतर्राष्ट्रीय सफलता से सीख:**
  - **दक्षिण कोरिया:** प्रगतिशील मानदंडों और लैंगिक समानता के कारण, पुरुष नसबंदी का प्रचलन अधिक है।
  - **भूटान:** सामाजिक स्वीकृति, सरकार द्वारा संचालित शिविरों और गुणवत्तापूर्ण सेवाओं के माध्यम से, पुरुष नसबंदी को लोकप्रिय बनाया गया।
  - **ब्राज़ील:** मास मीडिया जागरूकता अभियानों ने **1980** के दशक में **0.8%** से पिछले दशक में **5%** तक की वृद्धि की।
- **स्वास्थ्य प्रणालियों को सुदृढ़ बनाना:** पुरुष नसबंदी के लिए, अधिक स्वास्थ्य पेशेवरों को प्रशिक्षित करना।
  - नो-स्केलपेल पुरुष नसबंदी जैसी तकनीकी प्रगति में निवेश करना।
  - राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली को नीतिगत उद्देश्यों के साथ संरेखित करना।
- **जन जागरूकता अभियान:** पुरुष नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी के एक सुरक्षित तथा सरल विकल्प के रूप में बढ़ावा देना।
  - यह सुनिश्चित करना कि, दोनों साथी परिवार नियोजन संबंधी निर्णय सोच-समझकर लें।

स्रोत: [द हिंदू: भारतीयों को गर्भनिरोधक जिम्मेदारी साझा करने की जरूरत है]

संपूर्ण चुनावी प्रक्रिया पर CWC का प्रस्ताव

संदर्भ

कांग्रेस कार्य समिति (CWC) ने कहा कि संपूर्ण चुनावी प्रक्रिया की अखंडता से "गंभीर रूप से समझौता किया जा रहा है।"

तर्क क्या हैं?

- **चुनाव आयोग की पक्षपातपूर्ण कार्यप्रणाली**: **CWC** ने चुनाव आयोग पर पक्षपातपूर्ण व्यवहार करने का आरोप लगाया, जिसके बारे में उनका मानना है कि इससे चुनाव की अखंडता कमजोर होती है।
    - इस पक्षपात को चुनावी प्रक्रिया के प्रति जनता के मोहभंग में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले कारक के रूप में देखा जाता है।
- **चुनावी कदाचार**: प्रस्ताव में विभिन्न चुनावी कदाचारों पर चिंता व्यक्त की गई, जिनके कारण कथित रूप से चुनाव परिणाम प्रभावित हुए, विशेष रूप से हरियाणा और महाराष्ट्र में।
    - पार्टी ने तर्क दिया कि इन कदाचारों में हेरफेर और अनियमितताएं शामिल थीं जिन्हें नजरअंदाज कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप अप्रत्याशित परिणाम सामने आए।
- **EVM पर ध्यान का अभाव:** कुछ लोगों ने स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए मतपत्रों की ओर लौटने की वकालत की।
    - व्यापक ध्यान देने की बात कही तथा व्यावहारिक समाधान के रूप में वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) पर्चियों के 100% सत्यापन की आवश्यकता पर बल दिया।

राष्ट्रीय आंदोलन के पक्ष में तर्क

- **स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव का आह्वान:** कांग्रेस कार्यसमिति ने स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय आंदोलन शुरू करने का संकल्प लिया, तथा इसे एक संवैधानिक जनादेश बताया जो वर्तमान में खतरे में है।
    - पार्टी ने चुनावी शुचिता से संबंधित जनता की चिंताओं को दूर करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की।
- **व्यापक सुधारों की आवश्यकता:** इसमें मतदाता दमन, मतदाता सूची से छेड़छाड़, तथा मतदाता सत्यापन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने जैसे मुद्दों का समाधान करना शामिल है।
- **आंतरिक जवाबदेही:** बैठक में हाल के चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन के संबंध में आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता को स्वीकार किया गया।
    - यह सुझाव दिया गया कि चुनावी रणनीतियों और परिणामों का अधिक गंभीरता से विश्लेषण करने के लिए आंतरिक समितियां गठित की जाएं।

व्यापक संदर्भ

- **सार्वजनिक निराशा:** कांग्रेस कार्य समिति ने निर्वाचन प्रक्रिया के संबंध में मतदाताओं में बढ़ती निराशा की भावना पर गौर किया, जिसके बारे में उनका मानना है कि विभिन्न कारकों के कारण इसमें बाधा उत्पन्न हो रही है, जिनमें कथित सरकारी हस्तक्षेप और निर्वाचन आयोग की ओर से प्रतिक्रिया की कमी शामिल है।
- **एकीकृत पार्टी रणनीति:** इन चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए पार्टी के भीतर एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल दिया गया।
    - नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि आंतरिक विवादों और गुटबाजी ने उनकी स्थिति कमजोर कर दी है और प्रभावी प्रचार में बाधा उत्पन्न की है।

स्रोत: द हिंदू: चुनावी प्रक्रिया की अखंडता से गंभीर समझौता हुआ है: कांग्रेस।

जीडीपी वृद्धि दर दो साल के निचले स्तर पर पहुंची

संदर्भ

2024-25 में जुलाई-सितंबर (Q2) में भारत की आर्थिक वृद्धि धीमी होकर लगभग 2 साल के निचले स्तर 5.4 प्रतिशत पर आ गई।

क्या कारण थे?

- विनिर्माण और खनन क्षेत्रों के खराब प्रदर्शन के साथ-साथ कमजोर खपत के कारण ऐसा हुआ है।
- लेकिन देश सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहा।

- **वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही का प्रदर्शन:** वित्त वर्ष 2023-24 की जुलाई-सितंबर तिमाही में जीडीपी 8.1% बढ़ी।
- **वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही का प्रदर्शन:** वित्त वर्ष 2023-24 की अप्रैल-जून तिमाही में जीडीपी वृद्धि 6.7% रही।
- **पिछला निम्नतम**: वित्त वर्ष 2022-23 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के दौरान हाल के दिनों में सबसे कम जीडीपी वृद्धि 4.3% दर्ज की गई थी।

क्षेत्रवार प्रदर्शन

- **कृषि और संबद्ध क्षेत्र**: वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में विकास दर बढ़कर 3.5% हो गई, जबकि एक साल पहले की अवधि में यह 1.7% थी।
- **विनिर्माण क्षेत्र:** सकल मूल्य वर्धित (GVA) वृद्धि दूसरी तिमाही में धीमी होकर 2.2% हो गई, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही में 14.3% से भारी गिरावट है।
- **खनन और उत्खनन:** जीवीए में -0.01% की मामूली गिरावट आई, जबकि एक साल पहले 11.1% की मजबूत वृद्धि हुई थी।
- **निर्माण क्षेत्र:** दूसरी तिमाही में विकास दर घटकर 7.7% रह गई, जो साल-दर-साल 13.6% से कम है।
- **वित्तीय, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाएँ**: GVA वृद्धि थोड़ा सुधरकर 6.7% हो गई, जो एक साल पहले की तिमाही में 6.2% थी।

- **बिजली, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगिताएँ:** GVA वृद्धि धीमी होकर 3.3% हो गई, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही में यह 10.5% थी।
- **आठ प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्र**
    - **अक्टूबर 2024:** विकास दर धीमी होकर 3.1% रह गई**,** जो अक्टूबर 2023 के 12.7% से तीव्र गिरावट है।
    - **सितंबर 2024:** मासिक वृद्धि 2.4% रही।

अन्य डेटा

- **निजी अंतिम उपभोग व्यय (PFCE):** वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में वृद्धि घटकर 6% हो गई, जो वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में 7.4% थी।
- **राजकोषीय घाटा:**
    - **अप्रैल-अक्टूबर 2024**: राजकोषीय घाटा **₹**7,50,824 करोड़ तक पहुंच गया, जो पूरे वर्ष के लक्ष्य का 46.5% है।
    - **तुलना**: वित्त वर्ष 2023-24 में इसी अवधि के दौरान राजकोषीय घाटा बजट अनुमान का 45% रहा।

जीडीपी अनुमान (एनएसओ डेटा)

- **तिमाही डेटा (Q2 वित्त वर्ष 2024-25)**
    - **वास्तविक जीडीपी (स्थिर मूल्य)**: अनुमानित ₹44.10 लाख करोड़, जो वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही में ₹41.86 लाख करोड़ से अधिक है, जो 5.4% की वृद्धि दर को दर्शाता है।
    - **नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद (वर्तमान मूल्य)**: अनुमानित ₹76.60 लाख करोड़, जो ₹70.90 लाख करोड़ से अधिक है, जो 8% की वृद्धि दर दर्शाता है।
- **अर्धवार्षिक डेटा (H1 वित्त वर्ष 2024-25)**
    - **वास्तविक जीडीपी:** ₹87.74 लाख करोड़ अनुमानित , जबकि वित्त वर्ष 2023-24 की पहली छमाही में ₹82.77 लाख करोड़, जो 6% की वृद्धि को दर्शाता है।
    - **नाममात्र जीडीपी**: ₹141.40 लाख करोड़ से बढ़कर ₹153.91 लाख करोड़ होने का अनुमान, जो 8.9% की वृद्धि दर दर्शाता है।